


झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: अधिसूचना ::

संख्या-3/नि0सं0-09-06/2014 का0 8905/ राँची, दिनांक 06 दिसम्बर, 2018

श्री राजेश इमानुएल पात्रो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-550/03, गृह जिला- राँची) को व्यक्तिगत एवं स्वास्थ्य संबंधी कारणों के आधार पर दिनांक 30.11.2018 के प्रभाव से झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74 एवं वित्त विभागीय राज्यादेश संख्या- 6190/वि., दिनांक 27.04.1979 में निहित प्रावधानों के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(एच0 के0 सुधाँशु)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-3/नि0सं0-09-06/2014 का0 8905/ राँची, दिनांक 06 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-3/नि0सं0-09-06/2014 का0 8905/ राँची, दिनांक 06 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि- राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव कोषांग, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं श्री राजेश इमानुएल पात्रो, झा0प्र0से0, हाउस नं0- 396/B, रोड नं- 4/C अशोक नगर, राँची-834002 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-3/नि0सं0-09-06/2014 का0 8905/ राँची, दिनांक 06 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा- 5 एवं 6, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।